

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष दि
	28.6.18	<p>पत्रावली के माध्यम से वाजुह्वल को अदालत सारावाड में पेश हुए। पत्रावली का लोक कदम के भावना से अदालत के क्रिया गया तो पाया कि उसदिनांक तक पत्रावली में तलखाना नोटिस पेश नहीं हुआ। इसलिये वाद को C.P.C की धारा 09R5 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली के नुमांर होकर को नम्बर के कम है। वाद पूर्ण का खिल उपलब्ध है।</p>	


 सपक्ष अधिकारी
 जमानत